GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] No. 431] दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 2017/अग्रहायण 4, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 353

DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 2017/AGRAHANYA 4, 1939

[N.C.T.D. No. 353

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. 35 /2017-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(48)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/ 751.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03/(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/374 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में, क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"122 क	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स"
--------	------	---------------------------

(ii) क्रम संख्या 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"150	-	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से
		अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र,
		स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र
		या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की
		जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।"

6910 DG/2017 (1)

- (ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :-
 - "(v) वाक्य ''सरकारी निकाय'' से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट निगम भी आते हैं, जोकि;
 - (क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम
 - (ख) किसी सरकार द्वारा किया गया

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।"

(ग) अनुबंध I में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। "

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017,को सं. फा. 03/(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/374 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 6 नवम्बर 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/707, दिनांक 6 नवम्बर 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2017

No. 35/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3 (48)/Fin (Reve-I)/2017-18/DS-VI/751.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (A) in the Schedule,-
 - (i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"122A	4907	Duty Credit Scrips";
-------	------	----------------------

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"150 -	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants";
--------	---	--

- (B) in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(v) The phrase "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:
 - (a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
 - (b) established by any Government,

with 90 per cent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union territory or a local authority.".

(C) in ANNEXURE I, after point (b), the following proviso shall be inserted

"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of State Tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended by Notification No. 28/2017-State Tax (Rate) dated 6th November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F. 3 (37)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/707, dated the 6th November, 2017.